

कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

Email id- [dforamgarh@gmail.com](mailto:dforamgarh@gmail.com)  
[dfo-ramgarh@gov.in](mailto:dfo-ramgarh@gov.in),

Mob No-9431142824

पत्रांक - 2954

दिनांक- 9/12/19

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
गिरीडीह पूर्वी/पश्चिमी वन प्रमंडल,  
गिरीडीह।

विषय :- सी0सी0एल0 की परेज पूर्वी खुली खदान परियोजना हेतु 101.00 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

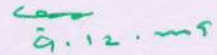
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि परेज पूर्वी खुली खदान परियोजना हेतु 101.00 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। विषयगत प्रस्ताव में अपयोजित होने वाली वन भूमि 101.00 हे0 के बदले क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 202.00 हे0 वन भूमि की आवश्यकता होगी। विदित हो कि रामगढ़ वन प्रमंडल में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु योग्य 202.00 हे0 वन भूमि उपलब्ध नहीं है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव हेतु आवश्यक 202.00 हे0 क्षतिपूरक वनरोपण योग्य वन भूमि का चयन करने में प्रयोक्ता अभिकरण की सहायता की जाय। ताकि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नलिखित अभिलेख तैयार कर इस कार्यालय में समर्पित किया जा सके।

1. क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का दस वर्षीय प्राक्कलन।
2. क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का Geo-reference Map
3. क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का Toposheet Map
4. क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का KML File
5. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्ता प्रमाण पत्र।

आपका विश्वासी,



वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
रामगढ़

ज्ञापांक:- 2954

दिनांक:- 9/12/19

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक, सी.सी.एल. क्षेत्र कुजू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपको निदेशित किया जाता है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरीडीह पूर्वी/पश्चिमी वन प्रमंडल से सम्पर्क कर उपरोक्त अभिलेख के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

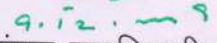


वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
रामगढ़

ज्ञापांक:- 2954

दिनांक:- 9/12/19

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
रामगढ़